

संचिका संख्या-17/आ०-02/2011-

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

संशोधित संकल्प

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 1167 (17) दिनांक-14.09.2012 एवं संशोधित संकल्प संख्या 138 (17) दिनांक-30.01.2013 द्वारा डा० नन्द किशोर मिश्रा, तत्कालीन सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर सम्प्रति In-situ सह-प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत अनुबंध में उल्लिखित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ है।

डा० मिश्रा दिनांक-30.06.2018 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। अतः उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(ख) के तहत परिवर्तित किया जाता है।

संकल्प संख्या-1167(17) दिनांक-14.09.2012 एवं संशोधित संकल्प संख्या-138(17) दिनांक-30.01.2013 के शेष भाग यथावत् रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-17/आ०-02/2011-

437/11/19 पटना, दिनांक :- 21/6/19

प्रतिलिपि :- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय एवं प्राचार्य, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० नन्द किशोर मिश्रा, तत्कालीन सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त In-situ सह-प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय पत्राचार का पता- सत्यम शिवम सुन्दरम, रोड नं०-04, जुरन छपरा, थाना-ब्रह्मपुरा, डाकघर-जी०पी०ओ० जिला-मुजफ्फरपुर, पिन-842001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/अपर सचिव के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा 01,02,03,09, एवं 18A, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।